राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 158/2024

डॉ. मान प्रकाश सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान, जयपुर।
4. पीएमओ/प्रभारी, उप जिला अस्पताल, चौंमू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकार कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2024, दिनांक 27.01.2024 एवं दिनांक 16.03.2024 (क्रमशः अनुलग्नक–1, 2 एवं 2ए) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का निवेदन है कि आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी (रेडियो) बताकर एपीओ किया गया जबकि अपीलार्थी उपनिदेशक के पद पर उप जिला चिकित्सालय चौंमू में

पदस्थापित है एवं उसकी अनुपालना में गलत पदनाम से आदेश दिनांक 27.01.2024 से कार्यमुक्त कर दिया। यह कार्यवाही प्रतिबंध अवधि में की गई। अपीलार्थी को नीचे का पद चिकित्सा अधिकारी पर दिखाया गया है जबकि अपीलार्थी पे ग्रेड 7600/– में उपनिदेशक के पद पर है। आलौच्य आदेश शिकायत के आधार पर जारी किया गया है जो नियमों में अनुमत नहीं है एवं साथ ही आलौच्य आदेश आरएसआर के नियम 25ए के उल्लघंन में जारी किया गया है। अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी का आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा जिला अस्पताल किशनगढ़ अजमेर में स्थानान्तरण कर दिया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्साधिकारी के पद पर हुई तत्पश्चात एसएमओ पद पर पदोन्नति हुई एवं आखिर में उपनिदेशक के पद पर ग्रेड पे 7600/– पर पदोन्नत हुआ (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी पीजी रेडियोलोजी की योग्यता धारित नहीं करता। राज्य सरकार द्वारा 21 माह का सीसीएफ कोर्स आयोजित किया जिसे अपीलार्थी ने पूर्ण किया है। अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा इस आधार पर अचानक एपीओ कर दिया कि उसके विरूद्ध सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमिततायें पाई गई। अपीलार्थी उपनिदेशक होने के बावजूद आलौच्य आदेश में चिकित्सा अधिकारी दिखाना आरएसआर के नियम 20 का उल्लघंन है। आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा 15. 01.2023 से स्थानान्तरण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। आदेश दिनांक 03.01.2024 पुनः निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंध अवधि में स्थानान्तरण एवं अपीओ आदेश पारित नहीं किया जावे। (अनुलग्नक–4) स्थानान्तरण राज्य सेवा का आवश्यक हिस्सा है। परंतु शिकायत पर स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हेमेन्द्र त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोमेश तिवारी के प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। (अनुलग्नक–5) सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल है। एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। जांच कमेटी दौसा जिले के लिए गठित की गई है एवं जांच रिपोर्ट में दौसा जिले में पदस्थापित कुछ चिकित्सकों के विरूद्ध अनियमितता पाई गई है। (अनुलग्नक–6) परंतु जांच रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ में सूची में अपीलार्थी का नाम भी शामिल कर लिया गया। अपीलार्थी को उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंध अवधि में बिना कोई नोटिस दिए बिना आधार के एपीओ किया गया है। अपीलार्थी ने किसी भी सिलिकोसिस पीड़ित की सकारात्मक रिपोर्ट का प्रमाणीकरण नहीं किया है। अतः किसी अनियमितता

का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। आलौच्य आदेश नीचे पद का नाम अंकित कर जारी करना आरएसआर के नियम 20 का उल्लघंन है। अपील लंबित रहने के दौरान आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करना गलत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2024, दिनांक 27.01.2024 एवं दिनांक 16.03.2024 (क्रमशः अनुलग्नक–1, 2 एवं 2ए) को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को उपजिला चिकित्सालय चौंमू में पदस्थापित कर निरंतर रखे जाकर वहां से वेतन भत्तों के भुगतान करने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर बहस कर अपीलाधीन आदेशों के अपास्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उसकी एसएसओ आईडी से अन्य किसी द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण करने के संबंध में पुलिस थाना चौंमू में शिकायत भी की है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दौसा जिले में सिलिकोसिस मरीजों के गलत प्रमाणीकरण करने एवं इस आधार पर भुगतान होने के संबंध में विभाग द्वारा जांच कराई गई थी जिसके आधार पर अपीलार्थी को 24.01.2024 के आदेश द्वारा एपीओ कर 27.01.2024 द्वारा कार्यमुक्त किया गया है जो युक्तियुक्त कारणों के आधार पर किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि पश्चावर्ती आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन होने से पूर्ववर्ती आदेश वर्तमान में प्रमावी नहीं रह गये है। इस आधार पर पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं 27.01.2024 की हद तक अपील सारहीन हो गई है। आदेश दिनांक 16.03.2024 में अपीलार्थी का सही पद नाम उपनिदेशक अंकित है। आदेश दिनांक 16.03.2024 सक्षम स्तर से नियमानुसार जारी हुआ है जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 16.03.2024 से पदस्थापन किया जा चुका है। लिहाजा पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं 27.01.2024 अब प्रभावहीन हो गया है। अतः इन दोनो आदेश की हद तक अपील सारहीन हो गई है। आदेश दिनांक 16.03.2024

द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन जिला चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर किया गया है। इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि या नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः उक्त विवेचना एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य